बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जानी थी। गोपालगंज जिला में जय प्रकाश विश्वविद्यालय के चार अंगीभूत डिग्री कॉलेज हैं। कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज, महिला महाविद्यालय गोपालगंज, भोला प्रसाद महाविद्यालय भोरे इत्यादि। उपरोक्त सभी महाविद्यालयों में शिक्षक से लेकर शिक्षकेत्तर कर्मचारी भवन, विद्युत, कॉमनरूम, पुस्तकालय सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। कुछ महाविद्यालयों में सरकार द्वारा कम्प्यूटर भी उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन उन कम्प्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष इन महाविद्यालयों में कई हजार छात्र-छात्राओं का नामांकन होता है लेकिन इनके अध्ययन हेतु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिनसे व्यापक स्तर पर इन छात्र-छात्राओं का सुनहरा भविष्य अग्रसारित हो सके। अत: नये कॉलेजों की स्थापना के साथ पुराने सभी कॉलेजों को उपरोक्त सभी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे हम गणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात कर सकें।

अत: मैं सदन में सरकार से उपर्युक्त मुद्दे पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- आदित्य नारायण पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-134/2018- 653 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 20.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालन्दा जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में चार सेवानिवृत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को सेवांत लाभ देने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय अहियापुर का प्रभार जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2017 तक किसी भी पशु चिकित्सक को नहीं दिया गया एवं इसकी सूचना विभाग को भी नहीं उपलब्ध करायी गयी। फलत: लगभग पांच हजार पशुपालकों को चिकित्सीय लाभ से वंचित रहना पड़ा। ज्ञातव्य हो कि उक्त पशु चिकित्सालय में दिसम्बर, 2017 में नजदीक में पदस्थापित पशु चिकित्सक को छोड़कर दूर के पशु चिकित्सक को प्रभार दिया गया।

अत: जिला पशुपालन पदाधिकारी के पूरे कार्यकाल की जांच कराकर विभागीय कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-135/2018- 654 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्ड के विकास के लिए बजट में 1.10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। कच्चे-पक्के नाले व सड़क, सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध पीने के पानी, ट्वायलेट, शौचालय, नयी कॉलोनियों के लिए जलापूर्ति पाईप बिछाने की योजना बनायी गयी। लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी के कारण योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में धरातल पर उतर नहीं रही है। कई योजनाओं के कार्य भी अभी तक शुरू नहीं कराया गया जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। राशि होने के बावजूद छोटी-छोटी योजनाएं समय के भीतर पूरी नहीं की जा रही है।

अत: मैं इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राधाचरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-136/2018- 655 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप के परिवहन अभिकर्ता की मिली भगत से बी.पी.एल. अन्त्योदय एवं अन्य योजनाओं के लाभुकों को सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सामग्री की कालाबाजारी किया जा रहा है। इसका ताजा प्रमाण दिनांक- 08.02.2018 को राघोपुर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकान के निरीक्षण प्रतिवेदन से ज्ञात होता है। उक्त पदाधिकारी ने दुकानों की जांच के क्रम में गोदाम में पूछताछ किया तो पता चला कि संबंधित दुकानों का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री 18.01.2018 को भेज दिया गया है। किन्तु अभी तक दुकानदार के यहां नहीं पहुंचा है। अर्थात रास्ते से ही गायब हो गया है। उसकी चर्चा उन्होंने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में भी किया है। कालाबाजारी करने वाले लोगों का यह खेल सम्पूर्ण जिला में जारी है। गरीब भूखे मर रहे हैं तथा कालाबाजार करने वाले मालामाल हो रहे हैं। जिसका रोष एवं क्षोभ आम जनता में व्याप्त है।

अत: वैशाली जिला में गरीबों के सामग्रियों को कालाबाजार करने वाले राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक तथा डोर स्टेप परिवहन अभिकर्ता पर कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-137/2018- 656 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ खाद्यआपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सिपाही पंडित एवं राजनाथ प्रसाद साह दोनों आदेशपाल एस.एस. उच्च विद्यालय भगवानपुर जिला सीवान का वेतन अनधिकृत रूप से 2009 से लंबित कर दिया गया है। दोनों आदेशपाल कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं और लगभग तीस वर्षों से कार्यरत हैं। साथ ही जुलाई 2014 से इनकी वार्षिक वेतनवृद्धि भी रोक दी गई है। जबकि राजनाथ प्रसाद साह, अपोलो अस्पताल दिल्ली में भर्ती है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और वेतन परिवार के लिए मिलता है। किन्तु अचानक वेतन रोकना परिवार के साथ न केवल अन्याय है अपितु अपराध भी है। जबकि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का आदेश है कि किसी परिस्थिति में किसी शिक्षक कर्मी का वेतन स्थगित नहीं किया जाय।

अत: उक्त दोनों आदेशपालों के वेतन भुगतान के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदार नाथ पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-142/2018- 674 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 20.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार विधान परिषद् में स्थानीय निकाय से निर्वाचित सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत समिति, जिला परिषद् , नगर निगम, नगर परिषद् के साथ-साथ प्रखंडों एवं जिला में होने वाली 20 सूत्री कार्यक्रम, दीसा एवं अन्य प्रकार की बैठकों में भाग लेने में तब कठिनाई होती है, जब एक ही दिन एक से अधिक बैठकें आयोजित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारी भागीदारी सभी बैठकों में तब ही सुनिश्चित हो पाएगी जब हमें अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रखंडों एवं जिला में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा और हमारे द्वारा मनोनीत प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि को उन बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। यदि प्रत्येक प्रखंड एवं जिला में हमारे प्रतिनिधि होंगे तो सभी बैठकों में हमारी भागीदारी हो पाएगी।

अत: मैं स्थानीय निकाय से चुने गए एम.एल.सी. को अपने क्षेत्र के प्रखंडों एवं जिला में प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार दिये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1.ह0/- दिनेश प्रसाद सिंह स0वि0प0

2.ह0/-रीना देवी स0वि0प0

3. ह0/- राजन कुमार सिंह स0वि0प0

4. ह0/- हरि नारायण चौधरी स0वि0प0

5. ह0/- दिलीप राय स0वि0प0

6. ह0/- सुबोध कुमार स0वि0प0

7. ह0/- संजय प्रसाद स0वि0प0 एवं

8. ह0/- रजनीश कुमार स0वि0प0

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-143/2018- 675 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ योजना एवं विकास विभाग बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्य क कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 20.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में धान की बालियां काटने के बाद उसके अवशेष को जलाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति कम होने के साथ-साथ भूसे की कमी होती जा रही है। यदि सरकार पुआल काटने और पैक करने वाले 'कम्बाइन हार्वेस्टिंग स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर या फिर स्ट्रा रीपर' खरीदने वाले किसाने को कीमत पर 50% का अनुदान दे और शेष राशि के लिए न्यूनतम ब्याज और किश्तों पर ऋण मुहैय्या कराने के साथ ही पुआल काटने वाले किसानों को 500/- रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मुहैय्या कराये, तो राज्य के किसानों को धान के अवशेषों को नष्ट करने की बढती जा रही प्रवृति से रोका जा सकता है।

अत: राज्य के किसानों को उक्त अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि मुहैय्या कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- कृष्ण कुमार सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-145/2018- 677 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यागण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ कृषि विभाग बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 20.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

खगडिया जिला के खगडिया प्रखंड अंतर्गत खगडिया- सोनमनकी पी.डब्लू.डी. पथ के पांचवे किलोमीटर के निकट से बछौता पंचायत होते हुए मिरियाही पोखर- खगडिया- अलौली पी.डब्लू.डी. पथ (बायपास सड़क) की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर हो गई है। आम लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होती है। इस पथ का जीर्णोद्धार 10 वर्ष पूर्व हुआ था। यह पथ खगडिया प्रखंड के कई पंचायतों तथा अलौली प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस पथ से होकर खगडिया जिला मुख्यालय आने वाले आम लोगों के आवागमन का एक मात्र सडक है।

अत: खगडिया प्रखंड तथा अलौली प्रखंड के आमलोगों की परेशानी को देखते हुए उपर्युक्त पथ का शीघ्र निर्माण कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सोने लाल मेहता

स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-160/2018- 697 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्येक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 23.03.18

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में बिहार का कोटा भर नहीं पा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बिहार के लिए 5433 कोटा दिया है, लेकिन इतने छात्र परीक्षा में सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। इस योजना में आठवीं के बच्चे शामिल होते हैं। उन्हें 12वीं तक की पढाई के लिए प्रतिवर्ष छः हजार रूपया छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना की शुरूआत 2008 में हुई थी। सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर परंतु मेधावी छात्र और छात्राओं को आगे की पढाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। आठवीं की छात्रवृत्ति के लिए लिखित परीक्षा होती है। इसमें मानसिक योग्यता एवं शैक्षणिक योग्यता के सवाल पूछे जाते हैं।

अतः मैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में बिहार के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, टिटोरियल क्लासेज या अन्य क्लासेज के माध्यम से बिहार के छात्रों को सफल होने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- लाल बाबू प्रसाद

स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-168/2018- 698 (1) / वि. प. पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्नी शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.03.18

(नवल किशोर सिंह) 23.03.18

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर बिहार के सभी विश्व-विद्यालय में वर्ष 2003 में नियुक्त व्याख्याताओं का 2012 से 2017 के मध्य तक रीडर में लंबित प्रोन्नति कर दी गई है, लेकिन विडम्बना है कि पटना विश्वविद्यालय में किसी न किसी बहाने प्रोन्नति बाधित की गई और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही एवं अनसूना रवैया के कारण भी प्रोन्नति नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रक्रियाधीन के नाम पर पिछले चार वर्षों से शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं कर उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है, जिसके कारण प्रभावित शिक्षकों की आर्थिक एवं उनके कैरियर की क्षति हो रही है। इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में पीछे नहीं हैं एवं कलेण्डर के अनुसार वे परीक्षा मूल्यांकन कार्य एवं परिणाम तक किसी तरह के कोताही नहीं करते हैं। जानकारी मिली है कि जिन शिक्षकों की व्यक्तिगत पहुंच कुलपति से है, उन विषयों के शिक्षकों की प्रोन्नति की सारी प्रक्रिया पूरी रूची के अनुसार हो रही है और बाकी विषयों के शिक्षक यथा- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान एवं इतिहास विषय के शिक्षकों को इस लाभ से दूर रखा गया है तथा इन विषयों के मूल्यांकन-रिपोर्ट, एक्सपर्ट द्वारा नहीं भेजे जाने का बहाना बनाकर कुलपति, प्रोन्नति को बाधित किए हुए हैं, जिससे प्रभावित शिक्षकों में रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने एवं जवाबदेह पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई कर वर्णित विषय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-173/2018- 724 (1) / वि. प. पटना, दिनांक- 26.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 26.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड रतनी फरीदपुर के ग्राम नोआवां के पास नदी में स्लुईस गेट का निर्माण पूर्व में किया गया था, जिससे 300 गांवों की सिंचाई का कार्य होता था। लेकिन स्लुईस गेट का कई वर्षों से रख-रखाव पर ध्यान नहीं रहने के कारण एकदम दयनीय तथा जर्जर स्थिति होने के कारण 300 गांवों में पटवन नहीं हो पा रहा है। किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय बनी हुई है। इस स्लुईस गेट के निर्माण में भी प्राक्कलन के अनुसार निर्माण नहीं किया गया था और संवेदक और इंजीनियर की मिली भगत से घटिया निर्माण किया गया जिसके चलते समय से पहले जर्जर हो गया। कई वर्षों से पानी का रुकाव नहीं रहने के कारण 300 गांवों को सिंचाई नहीं हो पा रही है।

अत: नोआवां के पास नदी में स्लुईस गेट का जीर्णोद्धार कराने हेतु एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित करने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- संजय प्रसाद

स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-174/2018- 725 (1) / वि. प. पटना, दिनांक- 26.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 2/4/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 26.03.2018

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्।